न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :—श्री विनय पाठक RAS

प्रकरण संख्या:— 154/2016

दिनांक :— 25.10.2016

जादवजी पिता जगजी कलाल निवासी सीमलवाडा पूलिस थाना धम्बोला त. सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राजस्थान

वादी

बनाम

1 रूपचन्द पिता कालूराम जी भगोरा निवासी सीमलवाडा (रतनपूरा)जिला डूँगरपुर राजस्थान

2 श्री राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा

प्रतिवादीगण

(वाद अर्न्तगत धारा 188,92ए,209 रा.टि. एक्ट सपठित धारा 151 जा.दी.)

अधिवक्ता वादी:— श्री नरेश जोशी
अधिवक्ता प्रतिवादी:— एक तरफा कार्यवाही

:— निर्णय :—

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी के वाद के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी रूपचन्द एक ही गॉव के रहने वाले है ।वादी के कब्जे काश्त एवम् खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 2340/1888 रकबा 1 बिघा 14 बिस्वा मोजा सीमलवाडा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काश्त है। पूर्व मे प्रतिवादी रूपचन्द द्वारा वादी की भूमि को क्रय करने वादी से सोदा किया था लेकिन सोदे की पालना प्रतिवादी रूपचन्द द्वारा नही किये जाने से विक्रय सोदा निरस्त किया जा चुका है। प्रतिवादी द्वारा सोदे की पालना नही किये जाने के बावजूद वादी द्वारा अपनी सदचरित्रता का परिचय देते हुवे प्रतिवादी को अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रथम नोटिस दिनांक 5.11.2014 के जरिये अपने अधिवक्ता के माध्यम से भिजवाया गया तथा दूसरा नोटिस दिनांक 9.1.2015 को भिजवाया गया लेकिन नोटिस मे वर्णित बातो की पालना नही किये जाने से सौदा निरस्त हो चूका है तथा प्रतिवादी रूपचन्द्र द्वारा करार अनूसार चार माह मे राशी अदा नही किये जाने सेअब वादी प्रतिवादी रूपचन्द को भूमि विक्रय भी नही करना चाहता है। कि प्रतिवादी द्वारा यह जानते हूवे की वादी उपरोक्त भूमि का खातेदार काश्तकार होकर मालिक हे वादी का कब्जा काश्त है तथा वादी को अपनी भूमि के चारो तरफ परकोटा निर्माण करने का पूर्ण अधिकार हैतथा इस हेतू वादी अपनी पर परकोटा निर्माण कराने हेतू आवश्यक तैयारी करने हेतु दिनांक 1.6.2016 को गया हूआ था जिसकी जानकारी प्रतिवादी रूपचन्द हो होने पर उसके द्वारा धमकी दी गई है कि अगर वादी द्वारा अपनी भूमि के चारो तरफ परकोटा या अन्य प्रकार का निर्माण किया गया तो प्रतिवादी वादी का परकोटा या वादी द्वारा किये जाने वाले किसी भी प्रकार के निर्माण को तोड देगा। प्रतिवादी मोके पर विवाद कर रहा है तथा वर्तमान मे वह ग्राम पंचायत सीमलवाडा मे सरपंच के पद पर कार्यरत है तथा वादी की भूमि पर कब्जा अतिक्रमण निर्माण की धमकिया दे रहे है ।वादी द्वारा सहायता के रूप मे न्यायालय से मांग की कि

वादी की भूमि में किसी प्रकार के कब्जा , अतिकमण ,निर्माण, अवरोध पैदा न स्वयं करे न अपने परिवारजन मित्र एजेन्ट ठेकेदार से करावे।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया

प्रकरण मे बावजूद तामील प्रतिवादीगण के हाजिर नही होने से उनके खिलाफ दिनांक 30.6.2016 को एक तरफा कार्यवाही बाबत् आदेश पारित किये गये।

प्रकरण मे जबाब दावा प्रस्तूत नही होने से तनकीयात कायम नही की गई तथा प्रकरण मे वादी द्वारा अपनी साक्ष्य प्रस्तूत की गई । पी.डब्लू एक के रूप मे वादी ने स्वयं को प्रस्तूत किया तथा अन्य सहायक साक्षी की रूप मे पी.डब्लू दो विनोद कूमार को परिक्षीत कराया गया ।तथा अपनी साक्ष्य बन्द की गई ।प्रकरण मे वादी द्वारा जमाबन्दी प्रदर्श एक , नोटिस दिनांक 9.1.2015 प्रदर्श दो,नोटिस दिनांक 5.11. 2014 प्रदर्श–3 को प्रदर्शित कराया गया।

प्रकरण मे बहस सुनी गई तथा दस्तावेजो का अवलोकन किया गया दोराने बहस अधिवंक्ता वादी द्वारा वाद मे उल्लेखित तथ्यो को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किये जाने निवेदन किया गया।

हमारे द्वारा वादी के वाद उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेजो का अवलोकन किया गया न्यायालय के समक्ष अवधार्य प्रश्न यह है कि क्या वादी स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी हे।

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श एक के आधार पर यह निर्विवादित सत्य है कि वादी उपरोक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है साथ ही वादी द्वारा प्रस्तूत अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिसके आधार पर वादी के कथनो से यह साबित हो रहा है कि प्रतिवादी द्वारा वादी से भूमि तो कय करने बाबत् करार किया है लेकिन प्रतिवादी द्वारा बकाया विकय मूल्य अदा नही किये जाने से उनका करार निरस्त हो चुका है । जब तक प्रतिवादी के पक्ष मे विकय या हस्तांतरण का दस्तावेज संपादित नही हो जाता वादी अपनी भूमि कीसूरक्षा एवम् रक्षा करने का पूर्ण अधिकारी है तथा काश्त करने का अपनी भूमि के उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकारी हे तथा वादी के हितो की रक्षा की जानी आवश्यक है तथा एसी परिस्थिति मे न्यायालय के विनम्र मत मे यह उचित समझा जाता है कि वादी अपनी भूमि आराजी नम्बर 2340/1888 रकबा 1 बिघा 14 बिस्वा मोजा सीमलवाडा बाबत् प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पाने का पूर्ण अधिकारी है । ऐसी परिस्थिति मे वादी वाद डिकी किया जाना उचित समझा जाता है ।

–: कियात्मक आदेश :–

वादी के पक्ष मे तथा प्रतिवादी रूपचन्द के विरूद्ध इस बात की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादी रूपचन्द वादी के कब्जे काश्त की भूमि आराजी नम्बर 2340/1888 रकबा 1 बिघा 14 बिस्वा मोजा सीमलवाडा मे वादी के कब्जे काश्त कार्य मे रूकावट पैदा न स्वयं करे न किसी अन्य के माध्यम से करावे। वादी या उसके परिवार को तंग परेशान न करें वादी तथा उसके परिवार को वादग्रस्त भूमि मे बूवाई जूताई शांतिपूर्ण ढंग से करने दे की जाने वाली व की गई फसल को नुकसान नही पहुचावे व फसल को काटकर चुराकर न ले जावें पशुओ से न खिला देवे । वादी की भूमि में किसी प्रकार के कब्जा , अतिकमण ,निर्माण, अवरोध पैदा न स्वयं करे न अपने परिवारजन मित्र एजेन्ट ठेकेदार से करावे।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर द्वारा मुद्राकिंत किया गया।

(विनय पाठक RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

मूलवाद में प्रारम्भिक डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा मुख्यालय धम्बोला

पीठासीन अधिकारी श्री विनय पाठक**RAS**

जादवजी पिता जगजी कलाल
बनाम
रूपचन्द पिता कालूराम जी भगोरा

दावा :– (वाद अर्न्तगत धारा 188,92ए,209 रा.टि. एक्ट सपठित धारा 151 जा.दी.)

मुकदमा संख्याः– 154 सनः– 2016

वादी के पक्ष मे तथा प्रतिवादी रूपचन्द के विरूद्ध इस बात की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादी रूपचन्द वादी के कब्जे काश्त की भूमि आराजी नम्बर 2340/1888 रकबा 1 बिघा 14 बिस्वा मोजा सीमलवाडा मे वादी के कब्जे काश्त कार्य मे रूकावट पैदा न स्वयं करे न किसी अन्य के माध्यम से करावे। वादी या उसके परिवार को तंग परेशान न करें वादी तथा उसके परिवार को वादग्रस्त भूमि मे बूवाई जूताई शांतिपूर्ण ढंग से करने दे की जाने वाली व की गई फसल को नुकसान नही पहुचावे व फसल को काटकर चुराकर न ले जावें पशुओ से न खिला देवे । वादी की भूमि में किसी प्रकार के कब्जा , अतिक्रमण ,निर्माण, अवरोध पैदा न स्वयं करे न अपने परिवारजन मित्र एजेन्ट ठेकेदार से करावे।

इस वाद के खर्चे लेखे NiL .रूपये की राशि आज तारीख से वसुली की. तारीख तक उस पर NIL प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित Nil द्वारा NiL को दी जाये

यह आज तारीख 25.10.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(विनय पाठक RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

वाद केखर्चे

वादी			प्रतिवादी		
	रूपया	पैसा		रूपया	पैसा
1 वाद के लिये स्टाम्प 2 स्टाम वकालतनामा 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 महनताना वकील 5 खर्चा गवाहान 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील			1 स्टाम्प वकालात नामा 2 स्टाम्प अरजी के लिए 3 महनताना वकील 4 खर्चा गवाहान 5 आदेशिका की तामील 6 कमिश्नर की फीस		
योग	Nil	Nil	योग	Nil	Nil